

**कृषि विभाग**  
**हिमाचल प्रदेश**  
**मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना**  
**आवेदन पत्र**  
(मुफ्त)

केवल कार्यालय प्रयोग के लिए	
आवेदन सं० :-	आवेदन की तिथि :-
	दस्तावेज जांच की तिथि :-
	प्रविष्टि की तिथि :-

सेवा में,

उप कृषि निदेशक/जिला कृषि अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी/विषयवाद विशेषज्ञ \_\_\_\_\_  
जिला \_\_\_\_\_ हि० प्र०।

विषय :- मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना के अन्तर्गत सौर/नियमित इलेक्ट्रिक बाड़ लगाने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु आवेदन।

महोदय,

1. सामान्य जानकारी : नामार्थि का नाम :-----

पिता का नाम : \_\_\_\_\_ श्रेणी \_\_\_\_\_ (एसटी/एससी/ओबीसी/जनरल)

पता : \_\_\_\_\_

गांव : \_\_\_\_\_ डाकघर : \_\_\_\_\_, जिला : \_\_\_\_\_

पिन कोड : \_\_\_\_\_, फोन नं० एसटीडी कोड सहित : \_\_\_\_\_

मोबाइल फोन नं० : \_\_\_\_\_ आधार कार्ड नं० : \_\_\_\_\_

पुरुष/महिला \_\_\_\_\_ शारीरिक विकलांगता (हां/नहीं) \_\_\_\_\_

2. बैंक खाता विवरण :

2.1 बैंक खाते में किसान का नाम : \_\_\_\_\_

2.2 खाता संख्या : \_\_\_\_\_

2.3 बैंक का नाम व बैंक शाखा का पता : \_\_\_\_\_

2.4 आईएफएससी कोड : \_\_\_\_\_

3. भूमि विवरण :

3.1 खेत का नाम: \_\_\_\_\_

3.2 खाता/खतौनी सं० : \_\_\_\_\_

3.3 खेत का स्थान : अ) गांव : \_\_\_\_\_ ब) डाकघर : \_\_\_\_\_ स) जिला : \_\_\_\_\_



15	मुख्य मंत्री खेत संरक्षण योजना	राज्य के सभी किसान जो प्रदेश में भू-मालिक हों, इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र है।	इस योजना के अन्तर्गत कृषकों को सौर ऊर्जा चालित बाड़ लगाने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर 80 प्रतिशत व समूह आधारित बाड़ बन्दी के लिए 85 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त प्रदेश सरकार ने कांटेदार तार व चेनलिंग बाड़ लगाने के लिए 50 प्रतिशत और कंपोजिट बाड़ लगाने हेतु 70 प्रतिशत का भी प्रावधान किया है।	आवेदन की कोई फीस नहीं है	आवेदन प्रपत्र सहित राजस्व रिकॉर्ड की प्रतिलिपि, जैसे कि जमाबंदी और ततिमा की प्रति, बैंक खाता की प्रति।	संबन्धित विकास खण्ड के विषयवाद विशेषज्ञ (कृषि) जो कि इस योजना की संचालन एजेंसी है, के माध्यम से संबन्धित जिला के उप कृषि निदेशक का भेजे जा सकते हैं। जन जातीय जिलों से संबन्धित प्रस्ताव जिला कृषि अधिकारी रिकॉगपिओं व केलांग के कार्याय में भेजे जा सकते हैं।	फॉर्म
----	--------------------------------	--	---	--------------------------	--	--	-------